

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-01/2018

सहायक अवधायक पद के मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय में विज्ञापन संख्या-01/2018 के अन्तर्गत सहायक अवधायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 10.04.2019 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गयी। इस परीक्षा के आधार पर विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए मेधा क्रमानुसार अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल निम्नवत है:-

S. No	Roll Number	Candidate's Name	Father's Name	DOB	Gender
कोटि-अनारक्षित					
1	170204725	KAJAL KUMARI	BIRENDRA PRASAD	21-May-96	FEMALE
2	170204704	BALRAM SINGH	JITENDRA KUMAR SINGH	5-Jan-91	MALE
3	170204723	KAUSHALENDRA KUMAR	NARESH PRASAD	12-Jul-95	MALE
कोटि-पिछड़ा वर्ग					
4	170204741	RAVI KANT	BIRENDRA PRASAD	8-Mar-89	MALE
कोटि-अनुसूचित जाति					
5	170204720	JAI PRAKASH KUMAR	RAM NARESH CHAUDHARY	10-Feb-93	MALE

नोट- सहायक अवधायक के एक पद पर पदधारक की पदोन्नति लंबित होने के कारण विज्ञापन में वर्णित छः औपबंधिक रिक्तियों के विरुद्ध मात्र पाँच पदों का ही परीक्षाफल प्रकाशित किया जा रहा है। छठे पद के रिक्त होने के उपरान्त उत्तपर अत्यन्त पिछड़े वर्ग से सफल अभ्यर्थी का परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा।

सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन सभा सचिवालय के एनेक्सी बिल्डिंग में दिनांक 18.06.2019 (मंगलवार) को 10-30 बजे पूर्वा० में होगा। सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

- मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card)।
- दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए:-**
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)।
 - स्थायी निवासी (डोमिस्ताइल) प्रमाण पत्र।
 - पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र,
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
 - श्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
- मुख्य परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के अंक शीघ्र ही सभा सचिवालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।

MU
सचिव 9/6/19
बिहार विधान सभा